अध्याय-IV
वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

4.1 कर प्रशासन

उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उ0प्र0 मो0 या0क0 अधिनियम), उ0प्र0 मोटरयान कराधान नियमावली 1998, मोटरयान अधिनियम, 1988 तथा मोटरयान नियमावली, 1989 में विभिन्न प्रकार के करों जैसे माल कर, अतिरिक्त कर (यात्रीकर) एवं फीस आदि के आरोपण का प्रावधान है।

शासकीय स्तर पर प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। करों एवं शुल्कों के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया का प्रशासन एवं पर्यवेक्षण परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा किया जाता है, जिनकी सहायता मुख्यालय में दो अपर परिवहन आयुक्तों तथा क्षेत्र में छः उप परिवहन आयुक्तों (उ0प्र0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0प0अ0) तथा 72 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों (स0स0प0अ0) (प्रशासन) द्वारा की जाती है।

4.2 प्राप्तियों का रुझान

माल एवं यात्री वाहनों पर कर की वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों के साथ उक्त अवधि के दौरान कुल कर प्राप्ति को निम्नलिखित तालिका एवं रेखा चित्र में दर्शाया गया है।

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	अन्तर आधिक्य (+) कमी (-)	अन्तर का प्रतिशत	राज्य की कुल कर प्राप्तियाँ	वास्तविक प्राप्तियों का कुल कर प्राप्तियों के सापेक्ष प्रतिशत
2007-08	1,533.31	1,255.49	(-) 277.82	(-)18.12	24,959.32	5.03
2008-09	1,600.00	1,391.15	(-) 208.85	(-)13.05	28,658.97	4.85
2009-10	1,574.89	1,674.55	(+) 99.66	6.33	33,877.60	4.94
2010-11	2,089.90	2,058.58	(-) 31.32	(-)1.50	41,355.00	4.98
2011-12	2,329.95	2,380.67	(+) 50.72	2.18	52,613.43	4.52

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे

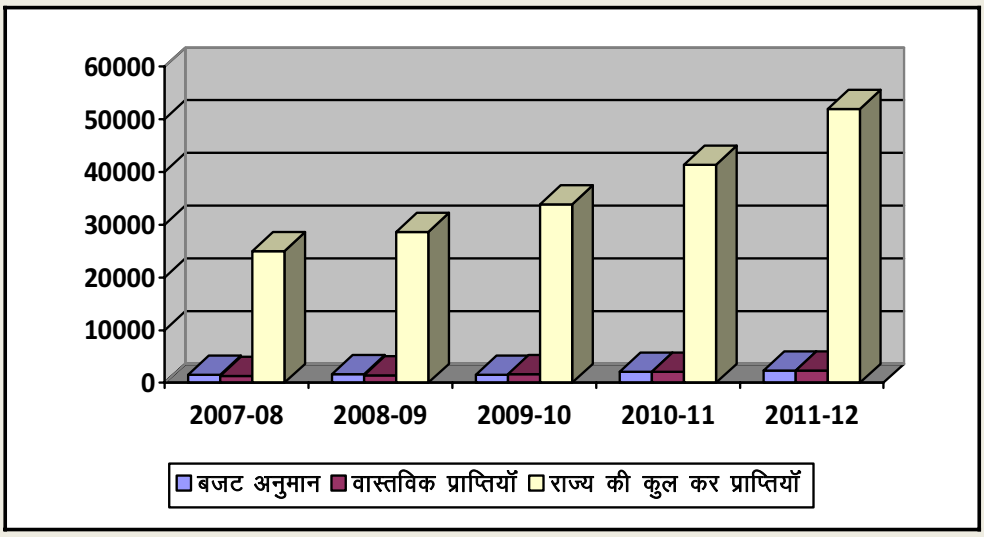

यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2011–12 में जहाँ वास्तविक प्राप्तियाँ वृद्धि का रूझान प्रदर्शित करती हैं, वहीं विभाग की वास्तविक प्राप्तियों का प्रतिशत राज्य के कुल कर

प्राप्तियों के सापेक्ष कमी का रूझान दिखाती हैं। तथापि, विगत दो वर्षों में बजट अनुमान सामान्यतः सही हैं।

4.3 राजस्व बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2012 को ₹ 29.69 करोड़ का राजस्व बकाया था। वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक के राजस्व बकाये की स्थिति निम्न तालिका में वर्णित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाये का प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान संग्रहीत धनराशि	बकाये का अन्तिम अवशेष
2007-08	23.00	1,304.23	1,255.49	71.74
2008-09	71.74	1,380.02	1,391.15	60.61
2009-10	60.61	1,661.41	1,674.55	47.47
2010-11	47.47	2,040.78	2,058.58	29.67
2011-12	29.67	2,380.69	2,380.67	29.69

स्रोतः वित्त लेखे तथा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

हम संस्तुति करते हैं कि बकाये की शीघ्र वसूली हेतु सरकार उचित कदम उठाने के लिए विचार करे।

4.4 संग्रह की लागत

वर्ष 2007–08 से 2011–12 के दौरान माल एवं यात्री वाहनों पर कर का सकल संग्रह, संग्रह की लागत तथा सकल संग्रह पर हुए व्यय की प्रतिशतता के साथ सम्बन्धित विगत वर्ष के दौरान सकल संग्रह पर हुए संग्रह की लागत के अखिल भारतीय औसत के प्रतिशतता का विवरण नीचे अंकित है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सकल संग्रह	संग्रह की लागत	सकल संग्रह से संग्रह के लागत की प्रतिशतता	विगत वर्ष के लिए संग्रह लागत की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता
2007-08	1,255.49	36.15	2.87	2.47
2008-09	1,391.15	50.43	3.62	2.58
2009-10	1,674.55	69.16	4.13	2.93
2010-11	2,058.58	78.13	3.80	3.07
2011-12	2,380.67	79.86	3.35	3.71

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे तथा विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना।

उपरोक्त से परिलक्षित है कि वर्ष 2011–12 में संग्रह पर व्यय की प्रतिशतता विगत वर्ष के अखिल भारतीय औसत से कम है।

4.5 लेखापरीक्षा का राजस्व प्रभाव

वर्ष 2006–07 से 2010–11 के दौरान हमने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के माध्यम से कर के कम आरोपण, कर की वसूली न होना/कम वसूली, अवनिर्धारण/राजस्व क्षति, गलत छूट, गलत दर से कर आरोपण, गलत गणना इत्यादि के 1,414 मामले इंगित किये थे जिसमें ₹ 282.80 करोड़ का राजस्व निहित था। इनमें से विभाग/शासन ने 458 मामलों में निहित ₹ 10.24 करोड़ की लेखापरीक्षा आपत्तियाँ स्वीकार की तथा ₹ 10.21 करोड़ की वसूली की जा चुकी है। विवरण निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	आपत्तिगत धनराशि		स्वीकृत धनराशि		वसूल की गई धनराशि	
		मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि	मामलों की संख्या	धनराशि
2006-07	48	243	14.01	3	0.21	3	0.18
2007-08	62	213	94.45	4	0.25	4	0.25
2008-09	71	344	118.34	148	2.49	148	2.49
2009-10	71	245	26.46	40	0.85	40	0.85
2010-11	71	369	29.54	263	6.44	263	6.44
योग	**323**	**1414**	**282.80**	**458**	**10.24**	**458**	**10.21**

अधिक संख्या में लेखापरीक्षा निरीक्षण लम्बित रहने की दृष्टि में, शासन नियमित अन्तराल में प्रस्तरों के त्वरित निस्तारण हेतु लेखापरीक्षा समिति बैठकों का आयोजन करना सुनिश्चित करे।

4.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2011–12 के दौरान परिवहन विभाग से सम्बन्धित 96 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में कर के अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताओं के ₹ 130.66 करोड़ के 648 मामले प्रकाश में आये, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अन्तर्गत आते हैं:

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	श्रेणी	मामलों की संख्या	धनराशि
1.	यात्री कर/अतिरिक्त कर का अनारोपण/कम आरोपण	187	37.68
2.	मार्ग कर का अवनिर्धारण	63	2.22
3.	माल कर का कम आरोपण	49	4.15
4.	अन्य अनियमितातायें	349	86.61
	योग	**648**	**130.66**

वर्ष 2011–12 के दौरान विभाग ने अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों का कोई मामला स्वीकार नहीं किया।

कुछ निदर्शी मामले जिनमें ₹ 15.43 करोड़ की धनराशि सन्निहित है, अनुवर्ती प्रस्तरों में उल्लिखित हैं।

4.7 लेखापरीक्षा आपत्तियाँ

हमारे द्वारा की गयी परिवहन विभाग कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच में वाहनों पर कर/अतिरिक्त कर के कम आरोपण/अनारोपण/वसूली न किया जाना, बिना स्वस्थता प्रमाण–पत्र के वाहनों का संचालन आदि और अनुत्पादक व्यय का एक प्रकरण, जैसा कि इस अध्याय के अनुवर्ती प्रस्तरों में इंगित किया गया है, प्रकाश में आये। ये मामले उदाहरणात्मक हैं तथा हमारे द्वारा की गई नमूना जाँच पर आधारित हैं। हम प्रत्येक वर्ष इस तरह की अनियमितताओं को इंगित करते हैं, किन्तु ऐसी अनियमिततायें न केवल बनी रहती हैं बल्कि हमारी लेखापरीक्षा होने तक पकड़ में नहीं आती हैं। शासन को आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह की त्रुटियों की पुनरावृत्ति से भविष्य में बचा जा सके।

4.8 टाटा मैजिक वाहन की सीटिंग क्षमता कम ग्रहण किये जाने के कारण देय कर का कम आरोपण

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अन्तर्गत (28 अक्टूबर 2009 को यथा संशोधित) उत्तर प्रदेश में कोई भी परिवहन यान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निर्धारित कर का भुगतान न कर दिया गया हो। मोटर कैब और मैक्सी कैब पर (तीन पहिया मोटर कैब को छोड़कर) लागू कर की दर 7 नवम्बर 2010 तक ₹ 550 प्रति सीट/प्रति तिमाही तथा 8 नवम्बर 2010 से ₹ 660 प्रति सीट/प्रति तिमाही थी। परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 30 जुलाई 2007 और 24 मई 2010 के द्वारा 1000 कि0ग्रा0 कर्ब भार के टाटा मैजिक वाहन (बेसिक मॉडल) के लिए कुल आठ सीट अनुमन्य की गयी थी।

हमने अप्रैल 2011 और मार्च 2012 के मध्य पाँच[1] सम्भागीय परिवहन कार्यालयों (स0प0का0) और 22 सहायक सम्भागीय परिवहन कार्यालयों (स0स0प0का0)[2] के अभिलेखों[3] का परीक्षण किया और देखा कि अक्टूबर 2009 से फरवरी 2012 तक की अवधि के दौरान 1000 कि0ग्रा0 कर्ब भार वाले 3,467 टाटा मैजिक वाहनों (बेसिक मॉडल) के सम्बन्ध में कर, परिवहन आयुक्त के आदेश दिनांक 30 जुलाई 2007 एवं 24 मई 2010 का उल्लंघन करते हुए कुल आठ सीटों के बजाय सात सीटों पर निर्धारित करके कर वसूला गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 99.71 लाख का कर कम वसूला गया, जैसा कि **परिशिष्ट–X** में दिया गया है।

हमारे द्वारा इसे इंगित (अप्रैल 2011 और मई 2012 के मध्य) किये जाने के पश्चात विभाग ने नवम्बर 2012 में उत्तर दिया कि 11 स0प0का0[4]/स0स0प0का0[5] में ऐसी 571 टाटा मैजिक वाहनों के विरूद्ध ₹ 23.86 लाख आरोपित एवं वसूल किया जा चुका है और 10 स0स0प0का0[6] तथा एक स0प0का0[7] में वसूली की प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी है। शेष स0प0का0[8]/स0स0प0का0[9] में कार्यवाही प्रतीक्षित (फरवरी 2013) है।

---

1 स0प0का0: मेरठ, मिर्जापुर, आजमगढ़, गोरखपुर और इलाहाबाद।

2 स0स0प0का0: इटावा, सन्त कबीर नगर, महराजगंज, हमीरपुर, अम्बेदकर नगर, सिद्धार्थनगर, मैनपुरी, रामपुर, कुशीनगर, बागपत, बुलन्दशहर, जालौन (उरई), औरैया, गाजीपुर, बलिया, रायबरेली, देवरिया, लखीमपुर खीरी, चन्दौली, कौशाम्बी, कांशीराम नगर एवं ललितपुर।

3 यात्री कर रजिस्टर, वाहनों की पत्रावलियां और वाहनों का डाटाबेस।

4 स0प0का0: इलाहाबाद और मेरठ।

5 स0स0प0का0: औरैया, बागपत, बुलन्दशहर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और रायबरेली।

6 स0स0प0का0: औरैया, बागपत, बुलन्दशहर, इटावा, हमीरपुर, कौशाम्बी, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी और रायबरेली।

7 स0प0का0: इलाहाबाद।

8 स0प0का0: आजमगढ़, गोरखपुर और मिर्जापुर

4.9 तीन माह से अधिक समर्पित वाहनों के सम्बन्ध में कर/अतिरिक्त कर का वसूल न किया जाना

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान नियमावली, 1998 के नियम–22, संशोधित 2009, में व्यवस्था है कि जब परिवहन वाहन स्वामी अपने मोटर वाहन को एक माह या अधिक अवधि के लिए प्रयोग नहीं करना हो, तो कराधान अधिकारी को मोटर वाहन के पंजीयन प्रमाण–पत्र, कर प्रमाण–पत्र, अतिरिक्त कर प्रमाण–पत्र, स्वस्थता प्रमाण–पत्र व परमिट, यदि कोई हो, अवश्य अभ्यर्पित करेगा। कराधान अधिकारी एक कैलेण्डर वर्ष में, तीन कैलेण्डर माह से अधिक, किसी वाहन के प्रयोग न किये जाने की सूचना स्वीकार नहीं करेगा। तथापि, यदि स्वामी निर्धारित शुल्क के साथ कराधान अधिकारी को आवेदन करता है तो सम्बन्धित सम्भाग के सम्भागीय परिवहन अधिकारी तीन कैलेण्डर माह से अधिक की अवधि हेतु अभ्यर्पण स्वीकार कर सकेगा।
यदि फिर भी ऐसी किसी गाड़ी को स0प0अ0 द्वारा समर्पण की अवधि में विस्तार की स्वीकृति के बिना एक वर्ष के दौरान तीन कैलेण्डर माह से अधिक अवधि के लिए अम्यर्पित बनी रहती है, तो अभ्यर्पण रद्द माना जायेगा और वाहनस्वामी यथास्थिति कर और अतिरिक्त कर भुगतान करने का दायी होगा। आगे, उपनियम (4) में प्रावधानों के प्रतिबन्धाधीन समर्पित वाहन का स्वामी, जिसके वाहन का समर्पण पूर्व में स्वीकार किया गया है, किसी भी कैलेण्डर वर्ष में तीन माह के बाद की अवधि के लिए कर एवं अतिरिक्त कर का भुगतान करने का उत्तरदायी होगा, चाहे कराधान अधिकारी से समर्पित प्रमाण–पत्र वापस लिए गये हों अथवा नहीं।

हमने नवम्बर 2010 एवं मार्च 2012 के मध्य 10 स0प0का0[10] एवं 23 स0स0प0का0[11] के अभिलेखों[12] की जाँच की और देखा कि 753 वाहन अप्रैल 2010 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान तीन कैलेण्डर माह से अधिक अवधि से समर्पित थे तथा इस तथ्य के बावजूद भी कि तीन माह से अधिक समर्पण के विषय में सम्बन्धित स0प0का0 द्वारा विस्तार स्वीकार नहीं किया गया था, कराधान अधिकारियों[13] ने देय कर/अतिरिक्त कर की वसूली हेतु कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की। इसके फलस्वरूप ₹ 2.29 करोड़[14] के राजस्व की वसूली नहीं की गई जैसा कि **परिशिष्ट–XI** में दिया गया है।

हमारे द्वारा इसे इंगित (मई 2011 एवं अप्रैल 2012 के मध्य) करने के पश्चात् विभाग ने नवम्बर 2012 में उत्तर दिया कि 19 स0प0का0/स0स0प0का0 के 265 वाहन ₹ 20.62 लाख वसूल करने के पश्चात अवमुक्त कर दिये गये हैं और 223 वाहनों से देय कर की वसूली हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है। इन वाहनों से कर की वसूली की अन्तिम स्थिति हमको ज्ञात नहीं करायी गयी है (फरवरी 2013)।

---

[9] स0स0प0का0: अम्बेडकर नगर, बलिया, चन्दौली, देवरिया, गाजीपुर, कुशीनगर, ललितपुर, महराजगंज, उरई और सन्त कबीर नगर।

[10] स0प0का0: गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, कानपुर नगर, आगरा, बरेली, सहारनपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद और बॉदा।

[11] स0स0प0का0: हमीरपुर, उन्नाव, देवरिया, मैनपुरी, फर्रूखाबाद, बागपत, मथुरा, रामपुर, बलरामपुर, औरैया, कुशीनगर, बिजनौर, फतेहपुर, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, सीतापुर, इटावा, बुलन्दशहर, शाहजहाँपुर, बहराइच, रायबरेली और जौनपुर।

[12] समर्पण रजिस्टर वाहनों की पत्रावलियां, यात्रीकर रजिस्टर और माल कर रजिस्टर।

[13] कराधान अधिकारी: उ0प्र0मो0वा0कराधान नियमावली,1998 के अन्तर्गत अपने क्षेत्र या उपक्षेत्र की स्थानीय सीमा के अन्तर्गत, स0प0अ0 या स0स0प0अ0 को कराधान अधिकारी पारिभाषित किया गया है।

[14] कर आरोपण की गणना के लिए अवधि अप्रैल 2010 से ली गई क्योंकि नियम अक्टूबर 2009 से प्रभावी हुए थे, इसमें कैलेण्डर वर्ष में समर्पण की तिथि के बाद प्रथम तीन महीने की अवधि छोड़ दी गई हैं।

4.10 वाहनों द्वारा अधिक भार का परिवहन

4.10.1 अधिक भार का परिवहन करने वाले वाहनों पर शास्ति का अनारोपण

मोटर यान अधिनियम, 1988 (मो0या0अधिनियम) की धारा 113, भार की सीमा और प्रयोग की, जो कि परिवहन आयुक्त द्वारा निर्धारित किये गये हैं जो राज्य में संचालित वाहनों के परमिट निर्गत करने के सम्बन्ध में संचालन हेतु शर्तें निर्धारित करता है। धारा 113(3)(ख) के अनुसार कोई भी व्यक्ति पंजीयन प्रमाण–पत्र में निर्दिष्ट सकल यान से अधिक लदान वाली मोटर यान या ट्रेलर को न चलवायेगा या चलने देगा।

मो0या0अधिनियम की धारा 194(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जो कोई अनुमन्य भार से अधिक के किसी मोटर यान को चलायेगा या मोटरयान का उपयोग करायेगा या किये जाने देगा, वह दो हजार रूपये के लिए प्रभारों का संदाय करने का दायित्व ऐसे अधिक भार के लिए एक हजार रूपये प्रति टन की दर से, अतिरिक्त धनराशि से दण्डनीय होगा। विभिन्न प्रकार के वाहनों द्वारा परिवहन किये जाने वाले उपखनिजों को भार की अधिकतम सीमा का निर्धारण, परिवहन आयुक्त द्वारा निर्गत पंजीयन पत्र से वाहनों का लदान भार निम्न रूप से निर्धारित किया गया है:

(भार टन में)

क्र0 सं0	उपखनिज	दो पहिया ट्रैक्टर (भार टन में)	चार पहिया ट्रैक्टर	छः पहिया ट्रैक्टर	10 पहिया ट्रक
1.	साधारण बालू	3.00	5.25	13	19
2.	मोरम	3.00	5.25	13	19
3.	साधारण मिट्टी	3.00	5.25	13	19

हमने जुलाई 2011 और मार्च 2012 के दौरान एक स0प0का0[15] और 10 स0स0प0का0[16] के अभिलेखों[17] और सम्बन्धित जिला खान कार्यालयों द्वारा उपखनिजों[18] को परिवहन करने हेतु निर्गत एम0एम–11 की जाँच की और देखा कि अप्रैल 2008 से जनवरी 2012 के मध्य विभिन्न श्रेणी के वाहनों द्वारा 2,113 मामलों में उपखनिज बालू और साधारण मिट्टी का परिवहन किया गया था।

इन सभी मामलों में वाहनों के पंजीयन प्रमाण–पत्र में दी गयी अनुमन्य भार से अधिक भार[19] का परिवहन किया गया जैसा कि निर्गत एम0एम0–11[20] फार्म में उल्लिखित था। अतः ये सभी वाहन मो0या0अधिनियम, 1988 की धारा 194(1) के अन्तर्गत कार्यवाही के योग्य थे।

हमने सम्बन्धित स0प0का0/स0स0प0का0 की प्रशमन पुस्तिका, अपराध या जब्ती रजिस्टर की जाँच के बाद पाया कि ये वाहन ओवरलोडेड पाये जाने तथा अधिक भार को उतरवाने के प्रभार देय होने के रूप में अंकित नहीं थे। स0प0अ0/स0स0प0अ0 ने इन वाहनों को रोकने और अनुमन्य भार से अधिक ढोने के कारण दण्डित करने की कोई कार्यवाही नहीं की।

---

15 स0प0का0: लखनऊ।

16 स0स0प0का0: रायबरेली, उन्नाव, प्रतापगढ़, बलरामपुर, औरैया, हरदोई, ललितपुर, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और सन्त कबीर नगर।

17 प्रशमन पुस्तिका, अपराध और जब्ती रजिस्टर।

18 बालू और साधारण मिट्टी।

19 आयतन को भार में परिवर्तनः बालू/मोरमः 1 घनमीटर = 2 टन। साधारण मिट्टीः 1 घनमीटर =1 घनमीटर = 1.70 टन।

20 खनन पट्टा या परमिट या सम्भावित लाइसेंन्स, जैसा भी हो, उसके धारक द्वारा निर्गत परिवहन पास।

अधिक भार लदे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता है। इन वाहनों पर ₹ 2.04 करोड़ की शास्ति आरोपणीय थी जैसा कि परिशिष्ट– **XII** में वर्णित है।

हमारे द्वारा इसे विभाग/शासन को इंगित (अक्टूबर 2011 और अप्रैल 2012 के मध्य) किये जाने के पश्चात विभाग ने नवम्बर 2012 में सम्बन्धित स0प0का0/स0स0प0का0 के उत्तरों को अग्रसारित किया कि प्रवर्तन दलों द्वारा ये वाहन सड़क पर संचालित नहीं पाये गये, अतः कोई हानि नहीं है। उत्तर स्वयं दर्शाता है कि विभाग द्वारा इन अधिक भार ढोने वाले वाहनों को पकड़ने और मो0या0 अधिनियम के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करने में कमी रही। सम्बन्धित जिला खान कार्यालयों में उपलब्ध अभिलेखों से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि वाहन में सीमा से अधिक भार लदा था।

हम संस्तुति करते हैं कि विभाग इसे जिला खान कार्यालयों से सत्यापन करने का तन्त्र विकसित करे और मो0या0 अधिनियम के उल्लंघन के कारण इन अधिक भार ढोने वाले वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही करे।

4.10.2 अधिक भार की गलत गणना के कारण शास्ति का कम आरोपण

निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म, लखनऊ द्वारा निर्गत शासनादेश सं0 1844/एम–5 दिनांक 16 फरवरी 2004 के अनुसार उपखनिज मोरम तथा गिट्टी का एक घन मीटर आयतंन क्रमशः दो टन तथा 1.70 टन भार के समतुल्य होगा। पुनश्च, मो0या0 अधिनियम की धारा 194(1) के प्रावधानों के अन्तर्गत जो कोई भी अनुमन्य भार से अधिक भार के किसी मोटर यान को चलायेगा, चलवायेगा या चलने देगा, वह दो हजार रूपये के न्यूनतम जुर्माने और लदान सीमा से अधिक लदे भार को उतरवाने के लिए देय प्रभारों का संदाय करने के दायित्व के साथ ऐसे अधिक भार के लिए एक हजार रूपये प्रति टन की दर से अतिरिक्त धनराशि से दण्डनीय होगा।

हमने जनवरी 2012 में स0स0प0का0 फतेहपुर के अभिलेखों[21] की जाँच की और देखा कि जनवरी 2011 से जून 2011 की अवधि के दौरान 135 वाहन जो उपखनिज मोरम तथा गिट्टी का परिवहन कर रहे थे, अधिक भार ढोने के कारण प्रशमित किये गये थे। हमने देखा कि मोरम और गिट्टी के भार की गणना गलत[22] हुई थी क्योंकि सही कनवर्जन फेक्टर जो मोरम और गिट्टी के लिए क्रमशः 2 टन और 1.70 टन प्रति घनमीटर था, का प्रयोग नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप ₹ 10.16 लाख की शास्ति का कम आरोपण/वसूल हुई।

हमारे द्वारा इसे इंगित (फरवरी 2012) किये जाने के पश्चात विभाग ने हमारे बिन्दु को स्वीकार किया और अगस्त 2012 में बताया कि प्रशमन शुल्क के अन्तर की धनराशि की वसूली के लिए नोटिसें निर्गत की जा चुकी हैं। वसूली प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

---

[21] प्रशमन पुस्तिका, अपराध और जब्ती रजिस्टर, प्रशमन की पत्रावलियां, रसीदबुक और कैश बुक।

[22] स0स0प0अ0 ने 2 और 1.70 टन प्रति घन मीटर के स्थान पर 1.5 टन प्रति घन मीटर का प्रयोग गणना में किया।

4.11 बकाये की वसूली हेतु नियन्त्रण एवं क्रियाविधि का अभाव

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा–20 के अन्तर्गत किसी कर या अतिरिक्त कर या शास्ति का बकाया भू–राजस्व के बकाये की भाँति वसूलनीय होगा। पुनश्च, कराधान अधिकारी प्रत्येक वर्ष कर, अतिरिक्त कर और शास्ति के बकाये के लिए जिसमें पूर्ववर्ती वर्षों के कर, अतिरिक्त कर या शास्ति भी निहित रहेगें, वाहन स्वामियों या संचालकों को निर्धारित प्रारूप में मांगपत्र जारी करेगा।

यदि देयको का भुगतान वाहन के जब्त या रोके जाने की तिथि से 45 दिन के अन्दर नहीं होता, तो धारा 22 कराधान अधिकारी को अधिकृत करता है कि वह इन वाहनों को जब्त एवं रोक कर, इनसे देयको की वसूली नीलामी द्वारा करे।

हमने फरवरी 2011 और दिसम्बर 2011 के मध्य दो स0प0का0[23] और पाँच स0स0प0का0[24] के अभिलेखों[25] की जाँच की और पाया कि 2,220 मामलों में जिनके लिए वर्ष 2002 से 2011 की अवधि के दौरान वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये थे, ₹ 8.32 करोड़ का कर/अतिरिक्त कर बकाया था। अवशेष देयकों की वसूली नहीं हो सकी थी। पत्रावलियों में राजस्व अधिकारियों द्वारा इन बकाये वसूली प्रमाण–पत्रों के विरूद्ध वसूली हेतु नियमित अनुश्रवण का कोई प्रमाण दिखाई नहीं पड़ा। जिले के कराधान अधिकारी ने उन वाहन स्वामियों के विरूद्ध जो अपने देयकों के प्रति दोषी थे, धारा–22 के अन्तर्गत वाहनों की जब्ती आदि की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की थी। नियमों में वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु कोई समयबद्ध व्यवस्था नहीं थी और विभाग के पास भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे प्रमाण–पत्रों को निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत निर्गत करने हेतु निगरानी किया जा सके। राजस्व के देय होने के तीन माह से 17 वर्ष की अवधि के पश्चात वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किये गये थे। नियन्त्रण क्रियाविधि के अभाव के फलस्वरूप ₹ 8.32 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हो पाई जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

क्र0 सं0	कार्यालय का नाम	निर्गत प्रमाण पत्रों की संख्या	प्रमाण पत्रों में निहित धनराशि (₹ लाख में)	प्रमाण पत्रों को निर्गत करने में लगा समय
1.	स0प0का0, फैजाबाद	914	189.04	10 माह से 17 वर्ष
2.	स0प0का0, गोरखपुर	490	205.63	7 माह से 12 वर्ष
3.	स0स0प0का0, कुशीनगर	293	313.94	5 माह से 10 वर्ष
4.	स0स0प0का0, महाराजगंज	48	23.23	3 माह से 8 वर्ष
5.	स0स0प0का0, रमाबाई नगर (कानपुर देहात)	200	17.73	अंकित नहीं
6.	स0स0प0का0, शाहजहॉपुर	33	10.57	1 वर्ष से 8 वर्ष
7.	स0स0प0का0, सिद्धार्थनगर	242	71.76	अंकित नहीं
योग		**2,220**	**831.90**	

हमारे द्वारा इसे इंगित (जुलाई 2011 और जनवरी 2012 के मध्य) किये जाने के पश्चात विभाग ने नवम्बर 2012 में उत्तर दिया कि तीन स0स0प0का0[26] में कुल 568 माामलों में से 36 मामलों में ₹ 8.76 लाख की वसूली हो गई और आगे की कार्यवाही के प्रति सहमति दी। अन्य जिलों से सम्बन्धित उत्तर प्रतीक्षित हैं (फरवरी 2013)।

---

[23] कर रजिस्टर, बकाया रजिस्टर, वसूली प्रमाण–पत्र निर्गत रजिस्टर और वाहनों की पत्रावलियां।

[24] स0प0अ0: गोरखपुर और फैजाबाद।

[25] स0स0प0का0: कुशीनगर, शाहजहाँपुर, सिद्धार्थनगर, रमाबाई नगर (कानपुर देहात) और महराजगंज।

[26] स0स0प0का0: कुशीनगर, शाहजहाँपुर और सिद्धार्थनगर।

4.12 कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर जो वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न थे, पर कर तथा अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम (28 अक्टूबर 2009 को यथा संशोधित) के अन्तर्गत कोई भी वाहन उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जिसने अधिनियम की धारा–4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर का भुगतान न कर दिया हो। वाणिज्यिक उद्देश्य में प्रयुक्त ट्रैक्टर पर प्रत्येक मीट्रिक टन लदान रहित भार या उसके भाग पर ₹ 500 प्रति त्रैमास या ₹ 1800 वार्षिक की दर से कर देय है। अग्रेतर, मोटरयान अधिनियम, 1998 की धारा 192–अ के अनुसार जो कोई धारा–66 की उपधारा (1) के प्रावधानों के विपरीत अथवा उस उद्देश्य जिसके लिए वाहन का प्रयोग किया जा सकता है, से सम्बन्धित परमिट की किसी शर्त के विपरीत किसी मोटरयान को चलाता है, चलवाता है अथवा चलाने देता है, उस पर प्रथम अभियोग के लिए ₹ 2500 जिसे बढ़ाकर दिनांक 25 अगस्त 2010 से ₹ 4000 कर दिया गया है (उत्तर प्रदेश शासन की दिनांक 25 अगस्त 2010 की अधिसूचना संख्या 1452/30–4–10–172/89) का अर्थदण्ड आरोपणीय होगा।

हमने जुलाई 2011 से मार्च 2012 के मध्य एक स0प0का0[27] तथा 11 स0स0प0का0[28] के अभिलेखों[29] की जाँच की और पाया कि अप्रैल 2008 से जनवरी 2012 की अवधि के दौरान 533 मामलों में कृषि कार्य हेतु पंजीकृत ट्रैक्टर उप खनिजों (बालू और मिट्टी) को परिवहन करके वाणिज्यिक गतिविधियों में संलग्न थे। इस तथ्य की पुष्टि सम्बन्धित जिला खान अधिकारियों द्वारा निर्गत एम0एम0 11 से हुई थी। विभाग ने वाणिज्यिक रूप में प्रयुक्त इन वाहनों से कर के आरोपण एवं वसूली की कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की और न ही इन पर नियम के उल्लंघन के लिए कोई आवश्यक अर्थदण्ड लगाया। इस कारण ₹ 29.05 लाख[30] की राजस्व क्षति हुई जैसा कि **परिशिष्ट–XIII** में दिया गया है।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने (अक्टूबर 2011 से अप्रैल 2012 के मध्य) के पश्चात विभाग ने स0प0का0/स0स0प0का0 के उत्तरों को प्रेषित किया ((नवम्बर 2012) जिसमें बताया गया कि दो स0प0का0/स0स0प0का0 द्वारा निर्गत की गई नोटिस के विरूद्ध 25 वाहनों के मामले में ₹ 1 लाख की वसूली की जा चुकी है। अन्य इकाइयों ने बताया कि इन वाहनों का चालान न होने के कारण अर्थदण्ड का आरोपण/वसूली नहीं हो पाई।

इकाइयों का उत्तर कि इन वाहनों के चालान न होने के कारण प्रशमन शुल्क की वसूली नहीं हो सकती, प्रदर्शित करता है विभाग ने इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया कि ये वाहन स्पष्ट रूप से वाणिज्यिक गतिविधियों[31] में संलिप्त थे और इसलिए तद्नुसार उनका पंजीकरण होना चाहिए था।

---

[27] स0प0का0: इलाहाबाद।

[28] स0स0प0का0: मथुरा,उन्नाव, हरदोई, रायबरेली, लखनऊ, औरैया, रामपुर, मैनुपरी, सिद्धार्थनगर,सन्त कबीर नगर और श्रावस्ती।

[29] पंजीयन रजिस्टर, कर रजिस्टर और प्रशमन पुस्तिका एवं अपराध और जब्ती रजिस्टर।

[30] कर ₹ 5.33 लाख और अर्थदण्ड ₹ 23.72 लाख ।

[31] जिला खान अधिकारियों के कार्यालय से उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार।

4.13 स्कूल वाहनों पर परमिट शुल्क का वसूल न किया जाना

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 27/2000 के सन्दर्भ में वर्ष 2000 में यथासंशोधित उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम के अन्तर्गत कोई भी शिक्षण संस्था अपने छात्रों के परिवहन हेतु बिना समुचित परमिट के वाहनों का प्रयोग नहीं करेगा। अग्रेतर, उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली (31 दिसम्बर 2010 को यथासंशोधित) का नियम 125 नये परमिट के निर्गमन, उसके नवीनीकरण तथा प्रतिहस्ताक्षरित करने हेतु ₹ 3,750 प्रावधानित करता है।

हमने अगस्त 2011 तथा मार्च 2012 के मध्य चार स0प0का0[32] तथा आठ स0स0प0का0[33] के अभिलेखों[34] की जाँच की और पाया कि जनवरी 2010 से फरवरी 2012 की अवधि में 421 स्कूल वाहन क्षेत्रों में बिना परमिट के संचालित हो रहे थे। फलस्वरूप ₹ 15.79 लाख की परमिट फीस की वसूली नहीं हुई।

हमारे द्वारा इंगित करने (नवम्बर 2011 और अप्रैल 2012) के पश्चात विभाग ने नवम्बर 2012 में बताया कि 108 वाहनों से परमिट फीस के ₹ 4.38 लाख वसूल किये जा चुके है और दूसरे प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है। वसूली की आगे की स्थिति प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

4.14 विलम्ब से पंजीकृत होने वाले वाहनों से शास्ति की न/कम वसूली होना

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 9(एल)(1) के अनुसार, निजी वाहनों के पंजीकरण के लिये कर का भुगतान वाहनों के पंजीकरण के समय मोटरयान अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत किया जायेगा।
धारा 9(3) के अनुसार जहाँ किसी मोटरयान से सम्बन्धित कर या अतिरिक्त कर का उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर भुगतान नहीं किया गया है, कर या अतिरिक्त कर के अलावा शास्ति, ऐसे दर से जो देय धनराशि से अधिक न हो, जैसा निर्धारित हो, देय होगी।
पुनश्च, उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली के नियम 24 के अनुसार जहाँ किसी मोटरयान का कर या अतिरिक्त कर धारा (9) की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अन्दर भुगतान नहीं किया गया है, देय कर या अतिरिक्त कर के 5 प्रतिशत की दर से प्रति माह या उसके भाग के लिए शास्ति देय होगी।
धारा 43 के अनुसार वाहन का अस्थाई पंजीकरण एक माह से अधिक के लिए वैध नहीं होगा और उसका नवीनीकरण नहीं होगा सिवाय मोटरयान जो पंजीकृत है, एक चेसिस है जिसकी बाडी जुड़ी नहीं है और जो किसी वर्कशाप में एक माह की अवधि से अधिक रूकी पड़ी है।

हमने नवम्बर 2011 तथा अप्रैल 2012 के मध्य दो स0स0प0का0[35] के अभिलेखों[36] की जाँच की और पाया कि नवम्बर 2010 से मार्च 2012 की अवधि के दौरान सम्बन्धित स0स0प0का0 में 173 निजी वाहन पंजीकरण हेतु लाये गये थे। इनका पंजीकरण उनके क्रय के दिनांक से एक से 98 महीने के पश्चात हुआ। परिवहन अधिकारी इसे पकड़ने तथा विलम्बित एक मुश्त कर के भुगतान पर देय ₹ 7.99 लाख की शास्ति आरोपित/वसूल करने में असफल रहे। इसके फलस्वरूप ₹ 7.99 लाख[37] का राजस्व कम/न वसूल हो पाया।

---

[32] स0प0का0: सहारनपुर, इलाहाबाद, आगरा और बॉदा।
[33] स0स0प0का0:रायबरेली, एटा, औरैया, उन्नाव, बागपत, फतेहपुर, शाहजहाँपुर और प्रतापगढ़।
[34] वाहनों की पत्रावलियां, परमिट रजिस्टर और वाहनों के डाटाबेस।
[35] स0स0प0का0: चन्दौली और बहराइच।
[36] कर रजिस्टर, वाहनों की पत्रावलियां और वाहनों का डाटाबेस, रसीद बुक और कैश बुक।
[37] अस्थाई पंजीयन की वैधता अवधि (क्रय की दिनांक से एक माह) का लाभ देते हुए संगणित।

हमारे द्वारा इसे इंगित (दिसम्बर 2011 से मई 2012) करने के पश्चात विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक 09 जून 2011 को जारी अनुदेश के अनुसार अस्थाई पंजीयन में विलम्ब के लिए अर्थदण्ड की वसूली स्थाई पंजीयन के समय कर लेनी चाहिए।

हम उत्तर से सहमत नहीं हैं क्योंकि उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली के नियम–24 के अनुसार विलम्ब से पंजीकरण के लिए अर्थदण्ड का आरोपण/वसूली वाहन के स्थाई पंजीयन के समय करना था और परिवहन आयुक्त का दिनांक 09 जून 2011 का आदेश इसे स्पष्ट करता है।

4.15 राष्ट्रीय परमिट के अधिकार पत्र का नवीनीकरण नहीं किये जाने के कारण राजस्व क्षति

भारत सरकार की अधिसूचना सं0 जी0एस0आर0 386–ई0 दिनांक 7 मई 2010 द्वारा नये राष्ट्रीय परमिट प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में संशोधन किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय परमिट के अधिकार पत्र प्राप्त हेतु ₹ 15,000 वार्षिक एक समेकित फीस तथा अधिकार पत्र के नवीनीकरण के हेतु ₹ 1,000 को शासन के खाते में जमा किया जाना अपेक्षित है।
परिवहन आयुक्त द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2000 को निर्गत किये गये आदेश के अनुसार यदि राष्ट्रीय परमिट का नवीनीकरण उसकी वैधता अवधि की समाप्ति के 15 दिनों के अन्दर नहीं किया जाता तो मो0या0अधिनियम, 1988 की धारा–86 के अन्तर्गत परमिट निरस्त करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर देनी चाहिए।

हमने जुलाई 2011 और मार्च 2012 के मध्य तीन स0प0अ0[38] के कार्यालयों के अभिलेखों[39] की लेखापरीक्षा की और पाया कि नवम्बर 2010 से फरवरी 2012 की अवधि में 73 माल वाहन परमिट की वैधता अवधि पूर्ण होने के बाद भी बिना राष्ट्रीय परमिट के अधिकार पत्र का नवीनीकरण कराये संचालित हो रहे थे। फलस्वरूप नवीनीकरण तथा समेकित फीस के ₹ 11.68 लाख की वसूली नहीं हुई और इन वाहनों का अनाधिकृत संचालन भी होता रहा। विभाग ने भी परिवहन आयुक्त द्वारा फरवरी 2000 में निर्गत आदेश के अनुसार कोई कार्यवाही नहीं की।

हमारे द्वारा इसे इंगित किये जाने के पश्चात (अक्टूबर 2011 और अप्रैल 2012) विभाग ने बताया (नवम्बर 2012) कि 15 वाहनों के परमिट निरस्त कर दिये गये हैं, 10 परमिटों का नवीनीकरण फीस लेकर किया जा चुका है और 30 अन्य प्रकरणों में नोटिस निर्गत कर दिये गये हैं। अन्य प्रकरणों में कार्यवाही[40] प्रतीक्षित है (फरवरी 2013)।

---

[38] स0प0का0: इलाहाबाद, लखनऊ और बांदा।
[39] वाहनों की पत्रावलियां, परमिट रजिस्टर, रसीद बुक और कैश बुक।
[40] मो0वा0 अधिनियम,1988 की धारा–86 के अन्तर्गत प्रावधानित।

4.16 वाहनों के बिना स्वस्थता प्रमाण–पत्र के संचालन के कारण हानि

मो0या0 अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये के0मो0या0 नियमावली के अन्तर्गत कोई परिवहन यान वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि उसे स्वस्थता प्रमाण–पत्र जारी न कर दिया जाय। नये पंजीकृत परिवहन यान के सम्बन्ध में जारी स्वस्थता प्रमाण पत्र दो वर्ष के लिए वैध होता है और प्रत्येक वर्ष उसका नवीनीकरण कराना आवश्यक है। इसके पश्चात हल्के, मध्यम एवं भारी वाहनों का स्वस्थता प्रमाण–पत्र क्रमशः ₹ 200, ₹ 300 एवं ₹ 400 तथा ₹ 100 स्वस्थता जॉच की फीस का भुगतान करने पर जारी किया जाता है। विलम्ब की स्थिति में निर्धारित फीस के समतुल्य अतिरिक्त धनराशि भी आरोपणीय है। बिना स्वस्थता प्रमाण–पत्र के संचालित वाहन मो0या0 अधिनियम के अन्तर्गत ₹ 2,500 प्रति अपराध की दर से शमनीय है।

हमने पाँच स0प0का0[41] एवं 24 स0स0प0का0[42] के अभिलेखों[43] का परीक्षण किया और देखा कि फरवरी 2011 एवं मार्च 2012 के मध्य 16,285 वाहन बिना वैध स्वस्थता प्रमाण–पत्र के संचालित थे और केवल देय कर का भुगतान किया गया था। विभाग के पास ऐसी कोई प्रणाली नहीं है जिससे ज्ञात हो सके कि देय कर स्वीकार करने के समय वैध स्वस्थता प्रमाण–पत्र है। ऐसे वाहनों का संचालन लोक सुरक्षा के साथ समझौता है। ऐसे वाहनों पर ₹ 1.03 करोड़ का स्वस्थता शुल्क तथा ₹ 4.07 करोड़ शास्ति के रूप में आरोपणीय था।

हमारे द्वारा इसे इंगित करने के पश्चात विभाग ने उत्तर दिया (नवम्बर 2012) कि 21 स0प0का0/स0स0प0का0 के 2,735 प्रकरणों में ₹ 13.97 लाख की वसूली की जा चुकी है और शेष प्रकरणों में कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है (फरवरी 2013)।

4.17 वेतन एवं भत्तों पर अनुत्पादक व्यय

हमने अप्रैल 2011 में कार्यालय सहायक सम्भागीय अधिकारी महराजगंज के अभिलेखों[44] की जॉच में देखा और पाया कि कार्यालय में कोई भी वाहन जनपद में कार्यालय की स्थापना के समय से ही उपलब्ध नहीं था। विभाग ने सितम्बर 2007 में एक ड्राइवर की तैनाती अन्य कार्यालय से स्थानान्तरित करके कार्यालय स0स0प0का0 महराजगंज में कर दिया। सितम्बर 2007 से मार्च 2011 की अवधि के दौरान बिना कोई काम किये उसके वेतन एवं भत्तों पर ₹ 6.29 लाख का व्यय किया गया।

इस प्रकार, कार्यालय में किसी वाहन के न होने के बावजूद ड्राइवर के वेतन एवं भत्तों पर किया गया व्यय अनुत्पादक रहा।

हमने अगस्त 2011 में प्रकरण विभाग तथा शासन को प्रतिवेदित किया। अभी तक हमको कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है (फरवरी 2013)।

---

[41] स0प0का0: कानपुर नगर, गोरखपुर, मेरठ, झाँसी और लखनऊ।

[42] स0स0प0का0: अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थनगर, महोबा, हरदोई, फिरोजाबाद, कानपुर देहात, गौतमबुद्ध नगर, अलीगढ़, बुलन्दशहर, मथुरा, बागपत, बिजनौर, कुशीनगर, मैनपुरी, ललितपुर, कन्नौज, फतेहपुर, महराजगंज, चित्रकूट, शाहजहापुर, इटावा, देवरिया, रायबरेली और बहराइच।

[43] कर रजिस्टर, वाहनों की पत्रावलियां, वाहनों के डाटाबेस, रसीद बुक और कैश बुक।

[44] परिसम्पत्तियां एवं डेड स्टाफ रजिस्टर, स्थानान्तरण तथा नियुक्ति सम्बन्धी पत्रावलियां, वेतन बिल रजिस्टर और कोषागार विवरण।